सरकारी-क्षेत्र के उपक्रमों में किया गया निवेश

4977. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में अब तक कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) इन उपक्रमों का वार्षिक उत्पादन कितना है तथा उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम को कितना-कितना लाभ अथवा हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार इनमें से किसी उपक्रम को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य शेयर पूंजी एवं ऋण के रूप में किए गए पूंजी निवेश, उनके लाभ एवं हानि तथा उनके वार्षिक उत्पादन से सम्बन्धित उद्यम-वार ब्यौरे दिनांक 23 फरवरी, 1994 को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 के खण्ड-3 में संक्षिप्त तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, प्रबन्ध अनुपात शीर्षकों के अंतर्गत दिया गया है ।

(ग) से (ङ) सरकार ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को निजी क्षेत्र को सौंपने का अनुमोदन कर दिया है । इस बीच इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को सरकारी क्षेत्र का एक रुग्ण उद्यम होने के कारण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के विचारार्थ भेज दिया गया है ।

Production and marketing of spurious auto parts

4978. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government arc aware of the production and marketing of the spurious auto par's in the country;

(b) if so, what is the existing Governmental machinery, if any, to study the clandestine manufacture and marketing of substandard automobile parts;

(c) whether the Trades and Merchandise Marks Act is ineffective in dealing with manufacture and marketing of spurious auto parts; and

(d) if so, what measures are contemplated by Government to check clandestine manufacture and marketing of the life-threatening components ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) Government is aware of the availability of spurious auto parts in the country.

(b) Action under Trades and Merchandise Marks Act can be initiated as and when such cases come to notice. A study on spurious auto components was recently conducted by the National Council of Applied Economic Research.

(c) and (d) The Trades and Merchandise Marks Act is proposed to be amended to make manufacture, storage and sale of spurious goods a cognisable offence. The Motor Vehicles Act is also being amended to provide for penalties for dealing in spurious auto parts. The excise duty on auto components has also been reduced to make the selling price of original components competitive.

गुजरात में ग्रामीण अदालतों का स्थापित किया जाना

4979. श्री गोपाल सिंह वी. सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में ग्रामीण अदालतें स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;